संख्या-433 /9-1-09-66सा/2001टीसी

प्रेषक,

आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

2- समस्त नगर आयुक्त,
उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊ/ दिनांक: 16 फरवरी, 2009

विषय: प्रदेश के नागर स्थानीय निकायों में संविदा पर कार्यरत सफाई कर्मियों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-4140/9-1-2005-66सा/2001, दिनांक 26-8-2006 द्वारा प्रदेश के समस्त नागर निकायों में समुचित सफाई व्यवस्था सुदृढ करने के उद्देश्य से रूपये 2130/- प्रतिमाह भुगतान के आधार पर सफाई कर्मियों की संविदा पर नियुक्ति करने के आदेश निर्गत किये गये थे।

2- इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश के नागर स्थानीय निकायों में नियुक्त किये गये संविदा सफाई कर्मियों का न्यूनतम पारिश्रमिक रूपये 100/- प्रतिदिन अथवा रूपये 2600/- प्रतिमाह किये जाने का निर्णय लिया गया है। उपरोक्तानुसार बढी हुई पारिश्रमिक की दरें तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तद्दैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0।
3- निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
4- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगरपंचायत, उ0प्र0।
5- नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(रवि प्रकाश अरोडा)
विशेष सचिव।